

दूरभाष:26175176

फैक्स: 26162093

संख्या-15/2/2017/उ.नि.(परीक्षा)/ 59

भारत सरकार

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

हिंदी शिक्षण योजना

उप निदेशक (परीक्षा) का कार्यालय

पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम,

नई दिल्ली-110066

दिनांक: 16-1-17

सेवा में,

निदेशक/संयुक्त निदेशक/सभी उप निदेशक/सर्वकार्यभारी अधिकारी,  
हिंदी शिक्षण योजना/पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/  
केंद्रीय हिंदी निदेशालय, सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष।

**विषय:-हिंदी प्रवीण/प्राज्ञ/पारंगत/प्रबोध परीक्षाएँ मई, 2017 का आयोजन एवं कार्यक्रम का विवरण।**

महोदय/महोदया,

राजभाषा विभाग के अंतर्गत आयोजित होने वाली हिंदी प्रवीण/प्राज्ञ/प्राज्ञ बैंकिंग पारंगत तथा प्रबोध पाठ्यक्रमों की परीक्षाएँ विभाग के परीक्षा स्कंध द्वारा प्रति वर्ष मई तथा नवंबर माह के दूसरे/तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाती हैं। इन परीक्षाओं के आयोजन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाते हैं। प्रत्येक सत्र में इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले नियमित/प्राइवेट/पत्राचार के परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम परीक्षा समाप्त होने के एक माह के अंदर घोषित किए जाते हैं। मई 2017 में आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए कार्यक्रम निम्न प्रकार है:-

2. आवेदन-पत्र निम्नलिखित कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं तथा वहीं जमा कराए जा सकते हैं:-

- (1) उप निदेशक (मध्योत्तर)  
हिंदी शिक्षण योजना,  
पूर्वी खंड-7, तल-6,  
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066  
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए।
- (2) उप निदेशक (दक्षिण)  
हिंदी शिक्षण योजना,  
ई-3, सी ब्लॉक, राजाजी भवन,  
बेसन्ट नगर, चेन्नै-600090  
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल तथा पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए।
- (3) उप निदेशक (पूर्व)  
हिंदी शिक्षण योजना,  
18वां तल, निजाम पैलेस परिसर,  
234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड,  
कोलकाता-700020  
पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, अंडमान-निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए।

(4) उप निदेशक (पश्चिम)  
हिंदी शिक्षण योजना,  
केंद्रीय सदन, सी. विंग,  
छठा माला, सी.बी.डी., बेलापुर,  
नवी मुंबई-400614

महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, दमन दीव, दादरा, नगर  
हवेली केंद्र शासित प्रदेश में स्थित कार्यालयों के लिए।

(5) उप निदेशक (पूर्वोत्तर)  
हिंदी शिक्षण योजना,  
पू.सी.रेलवे मुख्यालय,  
मालीगांव, गुवाहाटी-॥ (असम)

असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय,  
नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों में स्थित  
कार्यालयों के लिए।

(6) प्रभारी सहायक निदेशक  
(पत्राचार पाठ्यक्रम)  
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,  
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,  
2-ए, पृथ्वीराज रोड,  
नई दिल्ली-110011

केवल मई की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए।

(7) उप निदेशक (पत्राचार पाठ्यक्रम)  
केंद्रीय हिंदी निदेशालय,  
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय)  
पश्चिमी खंड-7, आर.के.पुरम,  
नई दिल्ली-110066

केवल नवंबर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए।

3. उपर्युक्त कार्यालयों के अतिरिक्त बेंगलुरु, हैदराबाद, जबलपुर, विशाखापट्टणम, पुणे, कोचीन, पटना, कानपुर नगरों में स्थित हिंदी शिक्षण योजना के कार्यालयों से भी आवेदन-पत्र प्राप्त किए जा सकते हैं और वहीं जमा किए जा सकते हैं।

4. सभी नियमित परीक्षार्थियों के भरे हुए परीक्षा फार्म हिंदी प्राध्यापकों द्वारा सर्वकार्य प्रभारी अधिकारियों/सहायक निदेशकों के माध्यम से क्षेत्रीय उप निदेशकों के कार्यालयों को भेजे जाएंगे। उप निदेशक (परीक्षा) के कार्यालय में परीक्षा फार्म केवल क्षेत्रीय उप निदेशकों के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। क्षेत्रीय उप निदेशकों से यह अनुरोध है कि वे अपने क्षेत्र के सभी परीक्षा फार्म नामिनल रोल (दो प्रतियों में) के साथ तारीख 17.03.2017 तक परीक्षा स्कंध को स्पीड पोस्ट से भिजवाने की व्यवस्था करें।

5. पत्राचार पाठ्यक्रम के परीक्षा फार्म अपने प्रायोजक अधिकारी के माध्यम से पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/केंद्रीय हिंदी निदेशालय को प्रेषित करें ताकि वहां प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 17.03.2017 तक परीक्षा स्कंध को भेजे जा सकें। पत्राचार पाठ्यक्रम के परीक्षार्थियों के जो आवेदन-पत्र परीक्षा स्कंध में सीधे प्राप्त होंगे, उन्हें परीक्षा स्कंध द्वारा स्वीकर नहीं किया जाएगा।

6 परीक्षा स्कंध में फार्म केवल निर्धारित माध्यमों से ही प्राप्त किए जाएंगे। यदि कोई फार्म परीक्षा स्कंध में सीधे भेजा जाता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः परीक्षा स्कंध को कोई भी आवेदन पत्र सीधे न भेजें और निर्धारित अवधि के अंदर संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशकों को प्रेषित करें।

7 आवेदन-पत्र अग्रेषित करने वाले अधिकारियों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि परीक्षा फार्मों के साथ नॉमिनल रोल की दो प्रतियां तथा प्रवीण प्राज्ञ व प्रबोध (पारंगत परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क देय नहीं है ) परीक्षाओं के लिए रुपये 100/- का बैंक ड्रॉफ्ट (केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को छोड़कर) (यदि भुगतान ऑनलाइन न किया गया हो) अवश्य संलग्न करें।

8 सभी प्रशिक्षार्थियों का एक ही बैंक ड्रॉफ्ट उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम भी बनवाया जा सकता है।

9 परीक्षा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की website [www.onlinesbi.com](http://www.onlinesbi.com) पर निम्नलिखित स्टैप्स अपनाते हुए ऑनलाइन भी जमा करवाया जा सकता है । ऑनलाइन द्वारा भुगतान की गई राशि की पावती रसीद की फोटोप्रति उप निदेशक(परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली कार्यालय में भेजना अनिवार्य है ।

प्रवीण, प्राज्ञ, प्रबोध, टंकण एवं आशुलिपि परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन फीस जमा करने के स्टैप्स

1.सबसे पहले State Bank of India की website [www.onlinesbi.com](http://www.onlinesbi.com) में State Bank Collect नामक उपशीर्षक पर जाएँ।

या

State Bank of India की website [www.onlinesbi.com](http://www.onlinesbi.com) पर मुख्य शीर्षक State Bank of India पर क्लिक करने पर State Bank Collect नामक उपशीर्षक पर क्लिक करें एवं सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए Proceed करें।

2. State Bank Collect पेज पर State of Corporate/Institution में All India Select करें तत्पश्चात् Type of Corporate/Institution में Govt. Department Select करें एवं GO को क्लिक करें ।

